भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3455

सोमवार 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

खानों में दुर्घटनाएं

3455. श्रीमती गीताबेन वी.राठवा:
श्रीमती रीती पाठक:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री जुगल किशोर शर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खान मजदूरों की सुरक्षा और मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में खतरनाक कारखानों में काम करने के संबंध में कोई सलाह जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने खानों और खतरनाक कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खानों में दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार खानों में दुर्घटनाओं की संख्या कम करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश के खान कामगारों की सुरक्षा और जोखिमकारी कारखानों में उनके काम करने के संबंध में कोई परामर्श जारी नहीं किया है। तथापि, केन्द्र सरकार ने खान अधिनियम,1952 और कारखाना अधिनियम, 1948 का अधिनियमन किया है ताकि क्रमश: खानों में नियोजित कामगारों तथा कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में नियोजित कामगारों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। इन अधिनियमों और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में खान कामगारों के साथ-साथ कारखाना कामगारों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के पर्याप्त उपबंध किए गए हैं।

(ख): सरकार ने खान कामगारों और जोखिमकारी कारखानों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की है परन्तु जोखिमकारी कारखानों सहित खान कामगारों के साथ-साथ कारखाना कामगारों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के पर्याप्त उपबंध खान अधिनियम, 1952 और कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा प्रशासित किए जाते हैं।

(ग): भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) खान अधिनियम,1952 का प्रशासन करता है ताकि खानों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डीजीएमएस ने खानों में दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) डीजीएमएस द्वारा खानों में सुरक्षा संबंधी जागरूकता का संवर्धन और प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खानों), खानों में सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कामगारों की प्रतिभागिता और सुरक्षा के मामलों में संवेदनशीलता सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और सुरक्षा सप्ताह तथा सुरक्षा अभियानों के आयोजन आदि जैसी पहलों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

(ii) खानों में सुरक्षा मानकों का सुधार करने के लिए प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(iii) जोखिम को दूर करने तथा कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोखिम मूल्यांकन तकनीकों और सुरक्षा प्रबंधन योजना की शुरूआत।

(iv) खानों में असुरक्षित पद्धतियों को दूर करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं की शुरुआत।

(v) डीजीएमएस द्वारा पहचान किए गए मुख्य क्षेत्रों में सुरक्षित प्रचालनों के लिए समय-समय पर परिपत्र जारी किए जाते हैं।

(घ): खानों में नियोजित कामगारों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए खान अधिनियम,1952 के उपबंधों का अधिशासन डीजीएमएस द्वारा किया जाता हैं। डीजीएमएस के लिए एक विस्तृत बजटीय परिव्यय की व्यवस्था है।

(ङ): कैलेंडर वर्ष 2015-19 के दौरान खान प्रबंधन द्वारा रिपोर्ट की गई घातक, गंभीर तथा कुल दुर्घटनाओं की संख्या संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	घातक दुर्घटना	गंभीर दुर्घटना	कुल दुर्घटना
2015	99	337	436
2016	106	305	411
2017	102	204	306
2018	96	236	332
2019	97	176	273

*वर्ष 2017 से 2019 तक के आंकड़े अनंतिम हैं।

जैसा कि देखा जा सकता है पिछले पांच वर्षों के दौरान खानों में होने वाली घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या कमी का रूझान दर्शाती है।

*****